शाहजहाँपुर पुलिस

112 आपात सेवाएं

उत्तर प्रदेश पुलिस

प्रेस नोटः- सराहनीय कार्य दिनांक 18.12.2024

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा षड़यन्त्र करके योजनाबद्ध तरीके से दिन दहाड़े ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या की घटना में शामिल एक अन्य नामजद 25000/- रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त स्वप्निल शर्मा को किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,शाहजहाँपुर महदोय के निर्देशानुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को ओ.सी.एफ. रामलीला मैदान में युवक की हत्या की घटना में शामिल एक अन्य नामजद 25000/- रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त स्वप्निल शर्मा की गिरफ्तारी करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 02.12.2024 को वादी मुकदमा श्री दिलीप कुमार गुप्ता द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 800/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/103(1) बी.एन.एस. बनाम अरविन्द वर्मा आदि 14 नफर अभियुक्तगण पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार द्वारा प्रारम्भ की गयी थी।विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन के आधार पर नांमजद अभियुक्त 1. आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ 2. आर्यन उर्फ शुभांकर 3. काजल पुत्री महेश पाल, को दिनांक 03.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त आशुतोष उर्फ प्रिंस राजपूत उर्फ बबुआ की निशांदेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त तमंचा व कारतूस बरामद किये गये थे तथा मुकदमा उपरोक्त में धारा 49/54/352/351(3) बी.एन.एस. व 3/25/27आयुध अधिनियम की वृद्धि की गई।

विवेचना से प्राप्त ठोस साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर तथा गिरफ्तार किये गये उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के बयानो के आधार पर इस अभियोग मे अभियुक्त 1. मोहित पुत्र राममूर्ति नि0 मो0 चमकनी गाडीपुरा, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर 2. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ नि0 मिश्रीपुर, थाना रामचन्द्र मिशन, जनपद शाहजहाँपुर के नाम प्रकाश में आये हैं तथा इस मामले में नामजद अभियुक्त 1. पीयूष राठौर पुत्र सर्वेश राठौर निवासी मोहल्ला जलालनगर बजरिया, थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर 2. अमन खाँ पुत्र भुल्लन खाँ एवं 3. मोहित पुत्र राममूर्ति को दिनांक 05.12.2024 तथा अभियुक्त मोहम्मद आदिल पुत्र मोहम्मद हासिम नि0 मो0 तारीन जलालनगर थाना सदर बाजार जिला शाहजहांपुर को दिनांक 08.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा नि0 मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 05.12.2024 को तथा अभियुक्ता श्रीमती पलक पत्नी प्रिन्स राजपूत उर्फ आशुतोष उर्फ बबुआ निवासी मो0 गदियाना चुंगी थाना सदर बाजार, शाहजहाँपुर को दिनांक 11.12.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है। अभियुक्तगण कमल कश्यप पुत्र मोहन लाल निवासी नहर कालोनी, पुवायाँ रोड, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर एवं निशान्त मिश्रा पुत्र पंकज मिश्रा मूल निवासी नवादा रूद्रपुर थाना मदनापुर हाल निवासी आनन्दपुरम कालोनी थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर को दिनांक 13.12.2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त में **शेष अभियुक्तगण 1. स्वप्निल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी मो0 मतानी, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर 2. अनमोल सक्सेना पुत्र मनोज सक्सेना निवासी आनन्दपुरम कालोनी थाना कोतवाली शाहजहांपुर 3. शेखर मौर्या उर्फ अभिषेक मौर्या पुत्र**

रामकिशोर मौर्या नि0 मो0 सिंजई, थाना कोतवाली,जनपद शाहजहाँपुर 4. अनुज सिंह पुत्र महिपाल सिंह, नि0 फैक्ट्री स्टेट, डबल स्टोरी, कैण्ट, थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 15.12.2024 को 25 ... 25 हजार का पुरस्कार घोषित किया गया था I इसी क्रम में मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्त स्वप्निल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी छोटा चौक, मो0 मतानी,थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर को आज दिनांक 18.12.2024 को गिरफ्तार करने में थाना सदर बाजार पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। उपरोक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्त ने प्रश्नगत घटना में अपने अन्य साथियों के साथ शामिल होने के जुर्म का इकबाल करते हुए मृतक आयुष गुप्ता को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाकर झगड़ा करने के लिए रामलीला मैदान में अन्य लडकों के साथ भेजने आदि के बार में महत्वपूर्ण तथ्य बताये हैं, जिनके सम्बन्ध में दोनों पक्षों के लडकों के इकट्ठा होने तथा रामलीला मैदान तक आने तथा घटना के बाद भागने के रास्तों की गहराई से छानबीन करते हुए सीसीटीवी फुटेज को चैक करके साक्ष्य संकलित किये जा रहे हैं। इसके अलावा इस घटना में नामजद शेष 03 अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना में शामिल अन्य अज्ञात अभियुक्तों का पता लगाने के लिए चार टीमें लगायी गई हैं। शीघ्र ही इस घटना में शामिल अभियुक्तों एवं दोनों पक्षों के लड़को को उकसाकर गम्भीर घटना कारित कराने वालों की पहचान कराकर प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार उक्त अभियोग में अब तक कुल 10 अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त अरविन्द वर्मा पुत्र दाताराम वर्मा नि0 मो0 अजीजगंज थाना कोतवाली, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 05.12.2024 को तथा अभियुक्ता श्रीमती पलक पत्नी प्रिन्स राजपूत उर्फ आशुतोष उर्फ बबुआ निवासी मो0 गदियाना चुंगी थाना सदर बाजार शाहजहांपुर को दिनांक 11.12.2024 को मा0 न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया जा चुका है। इस प्रकार मुकदमा उपरोक्त में कुल 12 अभियुक्तगण जिला कारागार, शाहजहाँपुर में निरूद्ध हैं। मुकदमा उपरोक्त में अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही शेष है। विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1.स्वप्निल शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी छोटा चौक, मो0 मतानी, थाना कोतवाली, शाहजहाँपुर उम्र करीब 29 वर्ष

अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान/ दिनांक व समय

ओ.सी.एफ. कैण्ट एरिया, पटेल रोड से समय करीब12.50 बजे

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त की गई एक अदद बुलेट मोटर साईकिल रंग सिल्वर रजि0नं0 UP27AM4641 चेसिस नं0 ME3U3S5C1JG764442 इंजन नं0 U3S5C1JG790737

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
2. उ0नि0 श्री दिलशाद खाँ, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
3. उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार शर्मा ,थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
4. कां0 2515 नरेन्द्र कुमार ,थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।
5. कां0 2180 प्रवीण कुमार, थाना सदर बाजार, जनपद शाहजहाँपुर।